



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052024-254032  
CG-DL-E-03052024-254032

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1810]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 3, 2024/वैशाख 13, 1946

No. 1810]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 3, 2024/VAISAKHA 13, 1946

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 2024

का.आ. 1902(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श के पश्चात् एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्र धातु (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्र धातु (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एल्युमिनियम और एल्युमिनियम मिश्र धातु (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) यह आदेश 01.12.2024 से प्रवृत्त होगा।”

[फा. सं. 02/18/2023-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार (खान)

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 31 अगस्त, 2023 के का.आ. 3846(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था और दिनांक 30 नवंबर, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 5090(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF MINES

### ORDER

New Delhi, the 3rd May, 2024

**S.O 1902(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order to amend the Aluminium and Aluminium Alloys (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. **Short title and commencement** – (1) This Order may be called the Aluminium and Aluminium Alloys (Quality Control) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Aluminium and Aluminium Alloys (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

“(2) This Order shall come into force with effect from 01.12.2024.”

[F. No. 02/18/2023-ES]

SHAKIL ALAM, Economic Adviser (Mines)

**Note:** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 3846(E), dated the 31<sup>st</sup> August, 2023 and amended *vide* notification number S.O. 5090(E), dated: 30<sup>th</sup> November, 2023.